

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सह जिला परियोजना अधिकारी,



समग्र शिक्षा, जिला-सुकमा (छत्तीसगढ़)

Ph. & Fax No.-07864284401, Email- rmsa.sukma@gmail.com

क्रमांक/ 366 /जि.परि.अ./स.शि./माध्य./अति.शि./2026-27

सुकमा, दिनांक 29/09/2026

प्रति,

स्थानीय अतिथि शिक्षक हेतु प्रेष विज्ञप्ति

कलेक्टर महोदय, जिला सुकमा (छ.ग.) के निर्देश एवं अनुमोदन दिनांक 20.08.2026 के अनुसार सुकमा जिला में संचालित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय काँटा के गणित विषय हेतु कार्यालयीन प्रेष विज्ञप्ति क्रमांक/1/334425/2026/जी.परि.अ./स.शि./PTT प्रशिक्षण/2026-27 सुकमा, दिनांक 20.08.2026 के तहत गणित विषय के स्थानीय अतिथि शिक्षक के लिये आवेदन आमंत्रित किया गया था निर्धारित समय सीमा में आवेदन अप्राप्त होने की स्थिति में पुनः आवेदन आमन्त्रण हेतु तिथि वृद्धि किया जाता है। उक्त विद्यालय हेतु गणित विषय के व्याख्याता के रिक्त पद के विरुद्ध जिला खनिज न्यास निधि मद से स्थानीय अतिथि शिक्षक रखा जाना है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवारों से निर्धारित प्रारूप में उपरोक्तानुसार आवेदन आमंत्रित किया जाता है। आवेदक द्वारा पूर्ण रूप से भरा हुआ अपना आवेदन पत्र स्वयं उपस्थित होकर संबंधित प्राचार्य को दिनांक 29.09.2026 से 05.10.2026 को संध्या 04:00 बजे तक जमा किया जावेगा। विलंब से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा। विज्ञापित पदों विवरण निम्नानुसार है:-

क्र	स्कूल का नाम	व्याख्याता के रिक्त विषय की जानकारी	रिमांक
1	शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोन्टा	गणित	

स्थानीय अतिथि शिक्षक की शैक्षणिक व्यवस्था हेतु निम्नानुसार मापदण्ड :-

1. **स्थानीय अतिथि शिक्षक व्यवस्था :-** यह शैक्षणिक अध्यापन व्यवस्था संबंधित शाला प्रबंधन एवं विकास समिति द्वारा की जाएगी। संस्था में पद रिक्तता की स्थिति में सुकमा जिले के स्थानीय निवासी को प्राथमिकता दिया जायेगा। स्थानीय अतिथि शिक्षक चयन हेतु योग्य अभ्यर्थी को संबंधित संस्था में स्वयं उपस्थित होकर रिक्त पद वाले विषय में आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
2. **प्राथमिकता :-** विगत वर्ष में कार्य पर रखे गये स्थानीय अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता दी जायेगी। जिसके लिए इस वर्ष कार्य पर रखे जाने हेतु आवेदन किया जाना अनिवार्य होगा।
3. **शैक्षणिक योग्यता :-** हायर सेकेण्डरी स्कूलों में अध्यापन हेतु स्थानीय अतिथि शिक्षक के लिए संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि। बी.एड. को प्राथमिकता होगी।
4. **स्थानीय अतिथि शिक्षक हेतु वरीयता क्रम :-**
 - 4.1 स्थानीय अतिथि शिक्षक हेतु प्राथमिकता सर्वप्रथम ग्राम पंचायत जिला/विकासखण्ड/के आवेदनों को क्रमशः प्राथमिकता दी जाएगी।
 - 4.2 एक ही ग्राम पंचायत / विकासखण्ड/ जिला से दो या दो से अधिक आवेदन उपलब्ध होने की स्थिति में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों के मेरिट को आधार माना जावेगा।
 - 4.3 इनमें से किसी भी परिस्थिति में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में समान अंक होने पर अधिक उम्र वाले हितग्राही को प्राथमिकता दिया जावेगा।
 - 4.4 निर्धारित शैक्षणिक तथा व्यावसायिक योग्यता के अभ्यर्थी प्राप्त न होने पर उपरोक्त अहर्ताओं में शिथिलता दी जा सकेगी। अध्यापन विषयों के आधार पर भौतिकी विषय के लिए बी.एस.सी./एम. एस. सी. भौतिकी को प्राथमिकता दिया जावेगा तथा उक्त विषय के साथ बी.एड. को प्राथमिकता दिया जावेगा।

5. मानदेय:- स्थानीय अतिथि शिक्षक हेतु मानदेय रुपये 18,000/- मासिक होगा। इसका भुगतान शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के द्वारा प्रमाणीकरण पश्चात् संबंधित प्राचार्य द्वारा किया जाएगा। संस्था प्रमुख द्वारा एक पंजी पृथक से संधारित की जाएगी एवं मानदेय का भुगतान उक्त प्रमाणित पंजी के वेतन पत्रक के आधार पर ही होगा। निर्धारित कार्य दिवस में अध्यापन नहीं करने पर आनुपातिक रूप से मानदेय की कटौती की जाएगी।
6. शिक्षण अवधि:- माह -अक्टूबर 2026 से अप्रैल 2027 तक ही होगी।
7. अन्य शर्त:-
- 7.1 स्थानीय अतिथि शिक्षक मात्र एक अंतरिम व्यवस्था है। अतः नियमानुसार किसी प्रकार का कोई नियुक्ति/पदस्थापना आदेश जारी नहीं किये जायेंगे, संबंधित संस्था में कार्यभार ग्रहण कराने के औपचारिक निर्देश शाला प्रबंधन एवं विकास समिति द्वारा दी जावेगी। साथ ही स्थानीय अतिथि शिक्षक द्वारा किसी प्रकार से पुनः कार्य पर लेने की मांग नहीं करेंगे। संस्था प्रमुख स्थानीय अतिथि शिक्षको को अवगत करायेंगे।
- 7.2 शाला में स्थानीय अतिथि शिक्षक की व्यवस्था नियमित व्याख्याता के पदभार ग्रहण करने तक प्रभावी होगी। यह व्यवस्था एक वित्तीय वर्ष 2026-27 तक मान्य होगा एवं संलग्न विद्यालय सूची अनुसार ही स्थानीय अतिथि शिक्षक की सेवा ली जावेगी।
- 7.3 स्थानीय अतिथि शिक्षक की शैक्षिक व्यवस्था कभी भी शाला प्रबंधन एवं विकास समिति द्वारा बिना कारण बताये समाप्त की जा सकती है।
- 7.4 स्थानीय अतिथि शिक्षक की अध्यापन के अतिरिक्त पाठ्य सहभागी क्रियाओं में भी सहभागिता अनिवार्य होगी, साथ ही संस्था प्रमुख के निर्देशों का भी पालन करेंगे। विवाद की स्थिति में कलेक्टर महोदय का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
- 7.5 स्थानीय अतिथि शिक्षक की सेवा लिये जाने हेतु जारी रिक्त पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है।
8. निरीक्षण:- संबंधित जिला मिशन समन्वयक, प्राचार्य, संकुल प्राचार्य, खण्ड स्त्रोत समन्वयक, विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा पाक्षिक निरीक्षण/अवलोकन रिपोर्ट जिला शिक्षा कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे। जिसमें उनके कार्यों की स्थिति का स्पष्ट उल्लेख होगा।


जिला शिक्षा अधिकारी

सह जिला परियोजना अधिकारी, समग्र शिक्षा,
जिला सुकमा (छत्तीसगढ़)

// आवेदन पत्र प्रारूप //

स्थानीय अतिथि शिक्षक पद हेतु

प्रति,

प्राचार्य.....

विकासखण्ड सुकमा/कोण्टा/छिन्दगढ़

जिला सुकमा (छत्तीसगढ़)

1. आवेदित पद का नाम :-
2. विषय :-
3. आवेदित शाला का नाम :-
4. आवेदक/आवेदिका का पूरा नाम (हिन्दी में) :-
- (अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में) :-
5. पिता/पति का नाम :-
6. माता का नाम :-
7. लिंग (महिला/पुरुष/अन्य) :-
8. जन्म तिथि (अंकों में) :-
- जन्म तिथि (शब्दों में) :-
9. वर्ग :-
10. जीवित रोजगार पंजीयन क्रमांक :-
11. पंजीयन दिनांक :-
12. शैक्षणिक योग्यता :-

क्र	उत्तीर्ण परीक्षा /स्तर का नाम	बोर्ड/वि.वि./संस्था का नाम	माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी	उत्तीर्ण वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

13. संलग्न सत्यापित प्रमाण पत्रों की छायाप्रति सूची:-

- | | |
|----------|----------|
| 1 | 2..... |
| 3 | 4 |
| 5 | 6..... |
| 7..... | 8..... |
| 9 | 10 |
| 11 | 12 |

// घोषणा पत्र //

मैं एतद् द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि, मेरे द्वारा प्रस्तुत सभी जानकारी पूर्णतः सत्य है इनमें कोई जानकारी गलत/असत्य पाये जाने पर आवेदन निरस्त किया जा सकेगा तथा मेरे विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी। इन परिस्थितियों में विज्ञापन जारीकर्ता अधिकारी द्वारा बिना बताए मेरे आवेदन को निरस्त करते हुए ली जा रही सेवा समाप्त करने का अधिकार होगा एवं उनका निर्णय मुझे मान्य होगा।

दिनांक

आवेदक का हस्ताक्षर

नाम: